

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बस्तर जिला, जगदलपुर (छ0ग0)

// ज्ञापन //

क्रमांक / 1074 / रीडर / अना0 / 2022

जगदलपुर, दिनांक 09 / 11 / 2022

प्रति,

उप मंडल अभियंता,
दूर संचार परियोजना
रायपुर(छ0ग0) ।

विषय :- Diversion of forest land non-forest purpose under forest conservation Act 1980 proposed for diversion land for OFC Bharat Sanchar Nigam Limited South Kondagaon Division provide high speed connectivity LWE and will help in implemeting the central govt. scheme under digital india program in Chhattisgarh area 2.181 ha. Regarding. ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक DE/TP/RP/Forest Permission/22/23/151 date 30.05.2022 ।

— 00 —

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । आपके द्वारा भारत सरकार के योजना तहत् छत्तीसगढ़ में उच्च गति के दूरसंचार कनेक्टीविटी सुविधा प्रदान करने हेतु बस्तर जिले के ग्राम भानपुरी (जुनावाही) पी0डब्ल्यू रोड के समान्तर में ऑप्टिकल केबल बिछाया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित मार्ग के राजस्व वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजनार्थ के लिये भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाही गई है।

अतः भारत संचार निगम लिमिटेड का ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु ग्राम भानपुरी, तहसील बस्तर में प्रस्तावित खसरा नंबर 38, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 93, 95, 100 रकबा क्रमशः 1.49, 1.10, 1.39, 0.95, 0.44, 0.37, 0.22, 1.67, 1.15, 0.10, 0.07 हे0 कुल रकबा 8.95 हे0 में से 0.052 हे0 राजस्व वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजनार्थ हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् भू-प्रत्यावर्तन कार्यवाही कराया जाना आवश्यक होगा । यदि विधिवत् वन विभाग से भू-प्रत्यावर्तन कार्यवाही करायी जाती है तो इस कार्यालय को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है ।



कलेक्टर

जिला बस्तर

पृ.क्रमांक / 1075 / रीडर / अना0 / 2022

जगदलपुर, दिनांक 09 / 11 / 2022

प्रतिलिपि:-

वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ ।



कलेक्टर

जिला बस्तर